हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
....

संख्या आर0डी0ड0ी–III-(बी)–10/2014-   तारीख शिमला–9   नवम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना सं0 आर0डी0डी0–II-बी (16)–4/2004-तारिख 31.01. 2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में महिला ग्राम विकास संयोजिका (म0ग्रा0वि0सं0), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (i)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण विकास विभाग, महिला ग्राम विकास संयोजिका, **(**म0ग्रा0वि0सं0) वर्ग– III **(**अराजपत्रित **)** भर्ती और प्रोन्नति **(** प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है!
	(ii)	ये नियम राजपत्र, (ई–गज़ट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।
2. उपाबन्ध "क" का संशोधन	2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, महिला ग्राम विकास संयोजिका (म0ग्रा0वि0सं0) वर्ग– III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " उक्त नियम " कहा गया है) के उपाबन्ध **"क" में,**
	(क)	स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– **"** पदो की संख्या **=176 (एक सौ छयहतर)"**

	(ख)	स्तम्भ संख्याः 4 के समाने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(i) नियमित पद्धारियों के लिए वेतनमानः– 5910-20200 रूपए जमा 1900 रूपए ग्रेड पे । (ii) 10300-34800 रूपए जमा 3200 रूपए ग्रेड पे (यह पे बैण्ड जमा ग्रेड पे दो वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात् दिया जाएगा) (iii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः– 7810 / –रूपए (समेकित नियत संविदात्मक रकम) प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए व्यौरे के अनुसार ।"
	(ग)	स्तम्भ संख्या 15 क के सामने विद्यमान उपबन्धों के खण्ड (vii) के उपखण्ड (ग), (घ) और (ड) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:– **"(ग)** संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिक्त्सिा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश लिए भी हकदार होगा / होगी। वह चिक्तिसा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

		परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिक्त्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। **(घ)** नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (**समापन**) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिक्तिसा आधार पर कर्तव्य (**डियूटि**) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पद्धारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (**डियूटि**) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा /होगी : परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिक्त्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । **(ड.)** संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो।" और उक्त नियमों में निबन्धन और शर्तें संख्या 4, 5 और 6 के स्थान पर

		निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–
उपाबन्ध ‘‘ख’’ का संशोधन		“ (4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिक्त्सिा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश लिए भी हकदार होगा / होगी। वह चिक्तिसा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिक्त्सिा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (5) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (**समापन**) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिक्तिसा आधार पर कर्तव्य (**डियूटि**) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पद्धारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (**डियूटि**) से अनुपस्थिति

की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम की उपलब्ध नहीं होगा / होगी।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(6) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो।"

आदेश द्वारा/.
सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2086–2276

संख्या आर0डी0डी0–III-(बी)–09/2014- तारीख शिमला–9 30 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. नियन्त्रक, मुद्रण एवं प्रकाषण विभाग, हि0प्र0,शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतू।
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
5. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त शाखा अधिकारी, राज्यमुख्यालय (ग्रामीण विकास), हिमाचल प्रदेश,शिमला–9
7. समस्त उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. गार्ड फाईल ।

(डा0अजय शर्मा)
विशेष सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।